लोनी में बुजुर्ग की लिंचिंग की आड़ में साम्प्रदायिक तत्व चले हैं 'कार्रवाई' करने

सुशील मानव

गाजियाबाद के लोनी में बुलंदशहर के अब्दुल समद के साथ हुई मॉब लिंचिंग और हत्या के प्रयास वाले केस की आड़ में देश में सांप्रदायिक जहर घोलने वाली मोदी सरकार आज सांप्रदायकिता फैलाने का आरोप लगाकर तमाम एक्टिविस्ट, न्यूज़ पोर्टल और विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है।

वीडियो शेयर करने के लिये तमाम एक्टिविस्ट व सामाजिक कार्यकर्ताओं व न्यूज पोर्टल के खिलाफ़ उत्तर प्रदेश और दिल्ली में शिक़ायत और एफआईआर्ज दर्ज़ कराया जा रहा है। गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट से जुड़े एक वायरल वीडियो को लेकर राजधानी दिल्ली में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, ट्विटर इंडिया के मनीष माहेश्वरी समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिक़ायत दर्ज़ करायी गयी है। शिकायत दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में कराई गई है, आरोप है कि गाजियाबाद में हुई बुजुर्ग के साथ पिटाई के मामले में इन सभी ने भड़काऊ ट्वीट किया। एडवोकेट अमित आचार्य द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि इस मामले में अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस जांच कर रही है।

वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्थानीय सपा नेता उम्मेद पहलवान उर्फ इदरीस के ख़िलाफ़ केस दर्ज़ किया है। गौरतलब है कि इदरीस ने ही बुजुर्ग को थाने में केस दर्ज़ करवाने में मदद की थी। पीड़ित अब्दुल समद के बेटे ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि इदरीस ने उनके पिता की केस दर्ज करवाने में मदद की थी। बता दें कि बुजुर्ग की पिटाई के बाद इदरीस ने फेसबुक पर लाइव भी किया था। पुलिस अब सपा नेता की तलाश कर रही है।

इससे पहले बुधवार को यूपी पुलिस ने ट्विटर समेत 9 के खिलाफ़ केस दर्ज़ किया है। पुलिस ने वायरल वीडियो के मामले में पत्रकार मोहम्मद जुबैर और राणा अय्यूब के अलावा कांग्रेस नेता सलमान निजामी, शमा मोहम्मद और मसकूर उस्मानी, लेखक सबा नकवी, द वायर और ट्विटर के खिलाफ़ केस दर्ज़ किया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काना), 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 505 (शरारत), 120बी (आपराधिक साजिश) और 34 (सामान्य इरादा) जैसी धाराओं में केस दर्ज़ किया है।

एफ़आईआर में शिकायतकर्ता की तरफ़ से कहा गया है-"उक्त लोगों ने घटना की सत्यता को जाँचे बिना घटना को सांप्रदायिक रंग दे दिया और लोक शांति को अस्त-व्यस्त करने और धार्मिक समूहों के बीच विभाजन के उद्देश्य से वीडियो प्रचारित प्रसारित किया गया।"

वहीं जाँच अधिकारी अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया है कि अभी मामले की जाँच जारी है। और एफ़आईआर भी दर्ज की जा सकती है। वीडियो एडिट करने वाले व्यक्ति और वीडियो वायरल करने वाले लोगों के खिलाफ़ मुक़दमा दर्ज़ किया जाएगा। झूठा बयान देने पर भी मुक़दमा दर्ज़ किया जा सकता है।

ट्विटर के खिलाफ बदले की कार्रवाई के मूड में सरकार

वहीं अब्दुल समद वायरल वीडियो के बहाने केंद्र सरकार ट्विटर को सबक सिखाने के मूड में है। ट्विटर के खिलाफ़ एफ़आईआर में यूपी पुलिस ने कहा है कि ट्विटर से संबंधित वीडियो हटाने को कहा गया था, लेकिन इस दिशा में कंपनी ने कोई क़दम नहीं उठाया।

वहीं केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले में ट्विटर के खिलाफ़ दर्ज एफआईआर पर कहा है, "भारत की संस्कृति उसके विशाल भूगोल की तरह भिन्न है। कई मामलों में सोशल मीडिया पर प्रसार की वजह से छोटी सी चिंगारी से आग लग सकती है, ख़ासकर फ़ेक न्यूज़ के ख़तरे के कारण। इंटरमीडियरी गाइडलाइंस लाने की एक वजह ये भी थी है"।

अपने मीडिया बयान में उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा है, यूपी में जो हुआ है वह फ़ज़ी ख़बरों से लड़ने में ट्विटर की मनमानी का उदाहरण है। ट्विटर अपने फ़ैक्ट चेक तंत्र के बारे में अति उत्साही रहा है, लेकिन यह यूपी जैसे कई मामलों में कार्रवाई करने में विफल रहा है और ग़लत सूचना से लड़ने में इसकी असंगति को दर्शाता है।

बता दें कि ट्विटर एक सोशल मीडिया कंपनी है, जिसे आईटी एक्ट के तहत भारत में क़ानूनी कार्रवाई से सुरक्षा प्राप्त थी। आईटी एक्ट के तहत मिली सुरक्षा हटने के बाद ट्विटर का इंटरमीडियरी प्लेटफ़ॉर्म होने का दर्जा समाप्त हो गया है और फिर अब ट्विटर पर प्रकाशित हर सामग्री के लिए उसकी आपराधिक ज़िम्मेदारी तय की जा सकती है।

इस बाबत भारत सरकार के सूचना प्राद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने ट्विटर पर जारी एक बयान में कहा है कि ट्विटर को अपना पक्ष रखने के पर्याप्त मौक़े दिए गए थे, लेकिन ट्विटर ने अभी तक सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है। ये दिशानिर्देश 26 मई को प्रभावी हो गए थे।

हालाँकि ट्विटर प्रवक्ता ने कहा है कि अभी इस संबंध में हमें भारत सरकार की तरफ़ से कोई नोटिस नहीं मिला है। ट्विटर भारत में कंप्लायेंस अधिकारी नियुक्त कर चुका है।

अब्दुल समद का बयान और वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 72 वर्षीय अब्दुल समद के लगाये अधिकांश आरोप सही साबित होते दिखते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि उन पर दो बार फायर किया गया है। वीडियो में उनकी दाढ़ी काटी जाते और लाठी से बेरहमी पूर्वक उनकी पिटाई का दृष्य भी है। चूंकि वीडियो में आवाज़ नहीं है तो दो आरोपों की पुष्टि नहीं हो पा रही है। पहली ये कि उनसे जय श्री राम के नारे लगवाये गये और दूसरा ये कि उक्त आरोपियों ने अब्दुल समद से कहा कि हमने कई मुसलमानों को मारकर फेंक दिया है आज तेरी बारी है।

वहीं तमाम मीडिया बयानों में पीड़ित बुजुर्ग अब्दुल समद ने दोहराया है कि वो उनमें से किसी को नहीं जानते, न ही वो ताबीज बनाने का काम करते हैं। गाजियाबाद लोनी में दाढ़ी काटने और जय श्री राम के नारे लगवाने के अपने आरोप पर बुजुर्ग अब्दुल समद अब भी कायम हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि वो ताबीज बनाने का काम नहीं करते और न ही वो उन लड़कों को जानते हैं।

पुलिस की ताबीज थियरी

मामले में पुलिस सांप्रदायिक पहलू से इंकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि अब्दुल समद की पिटाई करने वाले उसके द्वारा बेचे गए ताबीज को लेकर नाखुश थे।

गाजियाबाद के लोनी इलाके में बुजुर्ग मुस्लिम अब्दुल समद से मारपीट के मामले में पुलिस ने अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि हमले में शामिल जिन पांच लोगों की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि अन्य की तलाश जारी है। अब्दुल समद पर हमले में शामिल इंतज़ार और सद्दाम उर्फ बौना दोनों को कल गिरफ्तार कर लिया गया है।

अयोध्या में राम के नाम पर हुए जमीन खरीद घोटाले को इस तरह समझें

संजीव सिंह

अयोध्या के रहने वाली कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को जमीन बेचा दो करोड़ रुपये में। इस जमीन का स्टांप शाम 5.22 बजे 18 मार्च को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदा था।

सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने इसी जमीन को 185000000 में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को चंपत राय द्वारा विक्रय कर दिया। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में स्टांप खरीदा शाम 5¬11 पर। यह चंपत राय ही सारे मामले में कर्ताधर्ता है और सीधे मोदी-योगी-मोहन भागवत के संपर्क में रहता है।

अब जो प्रश्न उठ रहे हैं वह देखिए...

1.पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जब यह स्टांप खरीदा तो उसमें फर्स्ट पार्टी के रूप में सुल्तान अंसारी का नाम दर्ज कराया जबकि उस समय (स्टाम्प की खरीद का समय) तक वह जमीन सुल्तान अंसारी की ना हो करके कुसुम पाठक और हरीश पाठक की थी। तो जब जमीन ही सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी की नहीं थी तो राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र उनसे बात क्यों कर रहा था? इसका सीधा मतलब था कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को कुसुम पाठक और हरीश पाठक के जमीन के बारे में जानकारी थी तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को सीधे कुसुम पाठक और हरीश पाठक से इस जमीन के लिए बात करना चाहिए था। सुल्तान अंसारी से बात क्यों हो रही थी? इस बात की पुष्टि दोनों ही बार जमीनों की बिक्री में एक ही गवाहों का होना भी सिद्ध करता है। ये दोनों गवाह भी ट्रस्टी थे। तो ट्रस्ट मुख्य मालिक को जानते हुए भी उससे बात क्यों कर रहा था जिसकी जमीन थी ही नहीं??

अगर 2012 में कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट सुलतान अंसारी और कुसुम पाठक के बीच होता तो उतने रकम का स्टांप सेल डिड में घटाया जाता और उसका उल्लेख भी किया जाता। जबकि सेल डिड में इसका कोई उल्लेख नहीं इसलिए कोई एग्रीमेंट नही।।

अगर पूर्व करार निरस्त हो गया तो विक्रेता जमीन को पूर्व में तय रकम पर बेचने से बाध्य नहीं रहा । फिर तो वह आज के रेट पर बेचेगा ।।

2.श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से दिए गए सफाई में चंपत राय की तरफ से यह कहा गया है कि यह जमीन बहुत ही कमर्शियल थी इसीलिए इसका रेट बहुत ज्यादा है जबकि सेल डीड में स्पष्ट उल्लेखित है की जमीन के 200 मीटर की एरिया में कोई भी कमर्शियल कार्य नहीं हो रहा है और अगर जमीन कमर्शियल यूज की होती तो सेल डीड में इसका उल्लेख भी होना चाहिए था।

3. यह सब रजिस्टर का यह अधिकार होता है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर जब चाहे रजिस्ट्री कर सकता है लेकिन इसके लिए ये आवश्यक है कि रजिस्ट्री लगातार हो रही हो। इसलिए ये जांच का विषय है कि 5 बजे से 7 बजे के बीच में रजिस्ट्रार ने अन्य कितनी रजिस्ट्री किया है और यदि 5 बजे के बाद सीधे 7 बजे रजिस्ट्री हुई है तो ये जांच का विषय है।

4. रजिस्ट्रार ने 2 करोड़ की जमीन उसी दिन 10 मिनट में 18 करोड़ की हो गई इसके लिए नियमानुसार स्टांप अंतर का मुकदमा कराया है या नहीं ये भी जांच का विषय है। क्योंकि नियमानुसार इतने अंतर पर मुकदमा दर्ज करने का नियम है।

अंदेशा है कि यह खेल बहुत दिनों से चल रहा हो और केवल एक ही गड़बड़ी की सेल डिड अभी पकड़ी गई हो। व्यापक भ्रष्टाचार का संकेत लगता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से दिए गए सफाई बिंदुवार गलत साबित हो रहे हैं । इस जघन्य पाप की सरकार भी यदि भागीदार नहीं तो राम के नाम पर सत्ता में आई राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह तत्काल इसकी सीबीआई जांच कराने के लिए केंद्र को लिखे।

संघ के चम्पत राय पर नगीना में 50 करोड़ की भूमि क़ब्ज़ाने का आरोप

चम्पत राय पर नगीना बिजनौर में 50 करोड़ की भूमि कब्जियाने का आरोप सामने आया है। अलका लाहोटी नगीना बिजनौर की रहने वाली हैं और इस समय इंडोनेशिया में रहती हैं। नगीना में उनकी एक गौशाला, श्री कृष्ण गौशाला के नाम से थी, जिसकी भूमि चम्पत राय के घर परिवार वालों ने कब्जा कर के इसी नाम से एक डिग्री कॉलेज खोल दिया है। वे अपनी ज़मीन और गौशाला खाली कराने के लिये प्रयास कर रही है, पर चम्पत राय के दबाव में सरकार उनकी नहीं सुन रही है। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ने अलका लाहोटी के आरोपों को सही माना है।

इस मामले को उठाया है, ब्रज फाउंडेशन, मथुरा के, Vineet Narain जी ने। उन्होंने इसकी सूचना आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को भी दी है।

16 करोड़ की लूट पर बावेला क्यों

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

बीते सप्ताह अयोध्या स्थित राम मंदिर फंड से दो करोड़ की ज़मीन को 18.50 करोड़ में खरीदे जाने को लेकर देश भर में बावेला मचा है। मंदिर ट्रस्टियों पर बड़ी रकम डकारने का सीधा आरोप लग रहा है जिसे उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर स्वत: सिद्ध भी माना जा रहा है। इसे लेकर सीबीआई जांच तक की मांग की जा रही है। मुझे समझ नहीं आया कि इसमें ऐसा क्या अपराध बन गया जिसकी जांच पुलिस अथवा सीबीआई करेगी। यह कोई सरकारी पैसा तो था नहीं, वैसे इस देश में सरकारी पैसा डकारने की भी पूरी छूट है, बशर्ते की डकारने वाला इस फ़न में पूरी महारत रखता हो और उसका हाज़मा भी दुरूस्त हो फ़िर यह तो ठहरा दान का पैसा, जनता ने खुद अपनी इच्छा से या संघियों की धमकियों से डर कर दिया था। इसके खर्च की न तो कैग द्वारा जांच होनी है और न ही किसी विधान सभा अथवा संसद से इसका बजट पास कराना है। ऐसे में जनता ने जिनके हवाले करीब 3200 करोड़ रुपया दान के रूप में दिया हो, वे इस धन का जो मर्जी करें; वे चाहे 18 करोड़ की ज़मीन खरीदें चाहे 100 करोड़ की।

जिज्ञासावश मैंने कानून जानने वालों से भी सलाह ली तो पता चला कि यह मामला अमानत में खयानत का बनता है। जनता ने जो दान दिया है वह राम मंदिर ट्रस्ट को दिया है और ट्रस्ट की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह जनता के विश्वास पर खरा उतरे और उसके द्वारा दिये गये धन को खुर्द-बुर्द न होने दे। इसी आधार पर अमानत में खयानत का मामला तो बनता है। वैसे यह मामला आईपीसी की सबसे कमजोर धाराओं में आता है जिसमें अपराध, उव्वल तो सिद्ध हो नहीं पाता और हो भी जाये तो अपराधी का कुछ खास बिगड़ता नहीं। जिस देश में हज़ारों करोड़ सरकारी धन डकारने वाले छुट्टे घूम रहे हो तो वहां मंदिरों का पैसा खाने के नहीं तो और किस काम आयेगा, इससे कोई अस्पताल या शिक्षण संस्थान बनने नहीं।

विदित है कि जब राम मंदिर ट्रस्ट का गठन होना था तो इसमें घुस पाने के लिये कैसी मारा-मारी हो रही थी। हर कोई रंगा सियार इसमें घुसने की तिकड़म भिड़ाने में जुटा था, मंदिर ही क्यों लगभग हर धार्मिक संस्थान में ओहदेदारी पाने के लिये लोग़ों को कड़ा संघर्ष करते देखा जा सकता है। यह भी एक तरह की धार्मिक सत्ता होती है जहां माल-मलाई अच्छी मात्रा में उपलब्ध रहती है। अपवाद स्वरूप कुछ धार्मिक संस्थानों की जनहित में अस्पताल, स्कूल व लंगर आदि चलाते भी देखा जा सकता है। लेकिन मंदिरों में तो इस तरह के अपवादों का भी नितांत अभाव है।

वापस मूल मुद्दे यानी अयोध्या के राम मंदिर पर लौटते हैं। कहने को बेशक इस मंदिर के लिये 3200 करोड़ की राशि एकत्र हुई है, लेकिन इसका भी कोई पुख्ता हिसाब नहीं है क्योंकि इस मंदिर निर्माण के ऊपर तीसियों-चालिसियों साल से चंदा उगाही होती आ रही है, कभी 'राम शिला' के नाम पर एक-एक ईंट और एक-एक रुपया जन-जन से मांगा गया, कभी इसके लिये पत्थर तराशने का काम शुरू कराया गया, यानी कुल मिला कर बीते अनेक बरसों से धंधा जारी है। इसके अलावा बीते 8-10 माह में विभिन्न संघी गुटों द्वारा मुहल्ले-मुहल्ले जाकर वसूलियां की गयीं उनका तो कोई हिसाब ही नहीं।

राम मंदिर के नाम पर चंदा देने वाले अपनी अंधभक्ति एवं आस्था के वशीभूत होकर दान देते हैं। वे यह मान कर दान करते हैं कि वे भगवान को पैसा दे रहे हैं। इस तरह की आस्था एवं अंध-विश्वास कोई आज की बात नहीं हैं यह सदियों से होता आ रहा है। इसके परिणामस्वरूप मंदिरों में अकूत धन संपदा के अंबार लगे पड़े हैं, जिनके बल पर चंद लोग पूरी ऐयाशी कर रहे हैं। उधर अंध-विश्वासी एवं आस्थावान लोगों की मान्यता यह है कि भगवान की अमानत में खयानत करने वाले अथवा उसे लूटने-खाने वालों को भगवान स्वयं सज़ा देगा। इसी चक्कर में सोमनाथ का मंदिर बार-बार लुटता रहा और पेटू पंडे पुजारियों की भीड़ खड़ी देखती रही। आज भी हालात कोई बहुत ज्यादा बदले नहीं हैं, केवल लूटने-खाने की तकनीक बदल गयी है। उक्त राम मंदिर के मामले में लूट का यह न तो कोई पहला मामला है और न ही आखिरी। इससे पहले भी कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। इस मामले में फ़िलहाल जो दो-चार लोग घोटालेबाज़ नज़र आ रहे हैं वे तो केवल मोहरे हैं, असली मगमच्छ तो पर्दे के पीछे हैं जो शायद ही कभी नज़र आयें।